एनएचपीसी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति

संशोधन–II

मई, 2017

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति

संशोधन–II

मई, 2017

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

संशोधन–II के बारे में
मई, 2017

एनएचपीसी की सीएसआर व धारणीयता नीति एनएचपीसी निदेशक मण्डल के अनुमोदन से दिसम्बर, 2013 में जारी की गई थी। इस नीति को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर के विशिष्ट प्रावधानों और कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली के अनुरूप संशोधित किया गया और इसे दिनांक 7 जुलाई, 2014 को एनएचपीसी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। एनएचपीसी की सीएसआर व धारणीयता नीति का अद्यतन नवीनतम निर्देशों के अनुरूप किया गया है व इस नीति में अंतिम संशोधन एनएचपीसी निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 17.04.2017 को आयोजित 403वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।

विषय–वस्तु

		पृष्ठ सं.
1.	एनएचपीसी का सीएसआर दृष्टिकोण	1
2.	एनएचपीसी का सीएसआर लक्ष्य	1
3.	प्रस्तावना	3
4.	परिचय	3
5.	उद्देश्य और स्कोप	5
6.	आयोजना	6
7.	क्रियान्वयन हेतु प्रबंधन ढांचा	9
8.	भूमिकाएं और उत्तरदायित्व	9
9.	संसाधन आवंटन	11
10.	क्रियान्वयन	12
11.	प्रबोधन	13
12.	कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन, प्रभाव आकलन और रिपोर्टिंग	14
13.	समझौता–ज्ञापन मूल्यांकन	15
14.	अनुलग्नक–1 : सीएसआर क्रियाकलापों की सूची	16

एनएचपीसी का सीएसआर दृष्टिकोण

- मानव, पृथ्वी और संगठनात्मक लक्ष्यों/संवर्धन को ध्यान में रखते हुए धारणीय विकास और समावेशी संवृद्धि के लिए योगदान करना।

एनएचपीसी का सीएसआर लक्ष्य

- व्यापक स्तर पर समाज में गुणवत्तापूर्ण जीवन सुधार के लिए प्रतिबद्ध व सामाजिक रूप से उत्तरदायी कारपोरेट कंपनी बनना।
- हम जिन समुदायों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सुविधाओं का सृजन करना और उन्हें विकसित करना।
- सभी हितधारकों के सामूहिक और एकीकृत प्रयास के माध्यम से आर्थिक, पर्यावरणीय और कल्याणकारी विकासोन्मुखी उद्देश्यों में संतुलन बनाए रखना।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति

1. प्रस्तावना

1.1 एनएचपीसी लिमिटेड एक मिनी रत्न श्रेणी–I कंपनी है जो भारत तथा विदेश में परम्परागत और गैर–परम्परागत स्रोतों के माध्यम से विद्युत के एकीकृत और दक्ष विकास की योजना, संवर्धन तथा व्यवस्था हेतु प्रतिबद्ध है।

1.2 पर्यावरण और लोगों के प्रति एनएचपीसी की प्रतिबद्धता इसके कॉरपोरेट दृष्टिकोण और उद्देश्य, अपनाई गई नीतियों तथा व्यवहारों से संपुष्ट होती है।

1.3 एनएचपीसी युनाइटेड नेशन्स ग्लोबल कॉम्पेक्ट (यूएनजीसी) का भी सदस्य है और मानवाधिकारों, श्रमिक मानदंडों, पर्यावरणीय जागरूकता तथा भ्रष्टाचार–रोधी सिद्धातों का भी पालन करता है।

1.4 एनएचपीसी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति का उद्देश्य कंपनी तथा इसके हितधारकों के दीर्घकालीन पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के मुद्दों को सुकर बनाना है।

2. परिचय

2.1 एनएचपीसी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में उल्लिखित सीएसआर नीति और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई कंपनी नियमावली (सीएसआर नीति) व इस संबंध में जारी नियमों, स्पष्टीकरणों और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता संबंधी दिशा–निर्देश, जो 01 अप्रैल, 2014 से लागू हैं, के अनुसार वर्ष 2013 में बनाई गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता नीति में संशोधन किया है।

2.2 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति एनएचपीसी के व्यापार संचालन हेतु एक आधार का निर्माण करेगी। इसका उद्देश्य धारणीय विकास और नैतिकतापूर्ण व्यापारिक

व्यवहारों को अपनाने के साथ कंपनी के लाभ को अधिकतम करने तथा दीर्घकालिक उन्नति के उद्देश्यों का एकीकरण करना होगा।

2.3 इस प्रकार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने और लोगों, ग्रह तथा संगठन के धारणीय विकास में योगदान देने की कंपनी की प्रतिबद्धता का एक कथन है।

2.4 एनएचपीसी के प्रमुख हितधारकों में इसके कर्मचारी, शेयरधारक, परियोजना प्रभावित परिवार, स्थानीय समुदाय, पंचायत, ब्लाक तथा जिला प्रशासन जैसे स्थानीय निकाय आदि शामिल हैं।

2.5 नीति का बल दिए जाने वाला क्षेत्र दो स्तरीय है अर्थात

क) संगठनात्मक सत्यनिष्ठा और नैतिकतापूर्ण व्यवहार के उच्च स्तरों को बनाए रखते हुए एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके, रिपोर्टिंग में पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों से अनुरूपता और हमारे क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में कार्य–निष्पादन का प्रकटीकरण, कर्मचारियों के कल्याण हेतु सोच का प्रदर्शन, प्रचालनात्मक और प्रबंधन व्यवहारों को अपनाते हुए व्यापार का संचालन। यह सभी हितधारकों के भरोसे और विश्वास को जीतने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय धारणीयता को बढ़ावा देगा।

यह शीर्ष प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी के साथ सभी कर्मचारियों के सामूहिक तथा समन्वित प्रयासों, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से धारणीय पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता के साथ सभी हितधारकों के मध्य जागरूकता, सुग्राहीकरण तथा समावेशन के प्रसार हेतु सक्रिय आंतरिक संचार रणनीतियों को अपनाकर किया जाना प्रस्तावित है।

ख) एनएचपीसी के प्रचालनों तथा क्रियाकलापों द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय रूप से सीधे प्रभावित होने वाले प्रमुख हितधारकों की चिंताओं पर ध्यान देना।

2.6 एनएचपीसी के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता क्रियाकलापों का विस्तार मात्र परोपकारी भाव प्रदर्शन से परे होगा और इनका उद्देश्य संगठन के व्यापारिक लक्ष्यों से एकीकरण का होगा।

2.7 जहां–कहीं हितधारकों की आवश्यकता तथा आकांक्षाओं को समझने के लिए वांछनीय हो, एक आधाररेखा सर्वेक्षण और/अथवा आवश्यकता आकलन अध्ययन करवाया जा सकता है। और उसके आधार पर, उचित सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों की पहचान कार्यान्वयन हेतु की जाएगी।

2.8 सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं का चयन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि अधिकतम लाभ समाज के निर्धन/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबके तक पहुंचे और पर्यावरण की गुणवत्ता के सुधार में योगदान हो।

2.9 बाध्यकारी क्रियाकलापों पर व्यय सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों के प्रति लेखांकित नहीं किया जाएगा।

2.10 एनएचपीसी की सीएसआर तथा धारणीयता नीति के प्रावधान समय–समय पर इस विषय पर सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परिवर्तित/संशोधित होंगे।

2.11 एनएचपीसी संसाधनों के ईष्टतम उपयोग, सामाजिक–आर्थिक अथवा पर्यावरणीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता तथा क्षमताओं के मध्य तालमेल करने के लिए मेगा परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन तथा प्रबोधन में अन्य सीपीएसई के साथ सहयोग के लिए समझौते कर सकेगी।

2.12 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता विद्युत मंत्रालय के साथ किए जाने वाले कार्य–निष्पादन मूल्यांकन हेतु समझौता–ज्ञापन के पैरामीटरों में से एक होगा जिसके लिए अधिभार समय–समय पर इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार होगा।

3.0 उद्देश्य और स्कोप

3.1 उद्देश्य

- प्रमुख हितधारकों, जिसमें एनएचपीसी के प्रचालनों और गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग भी शामिल है के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना।
- हरित प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं तथा मानकों को अपनाना जो सामाजिक तथा पर्यावरणीय धारणीयता में योगदान देती हों।
- क्षमता निर्माण उपायों, सीमांत और अवंचित तबकों/समुदायों के सशक्तिकरण के माध्यम से समावेशी वृद्धि तथा साम्यिक विकास में योगदान देना।

3.2 स्कोप

- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति के अंतर्गत चुनी गई योजनाएं/क्रियाकलाप को लाभ एनएचपीसी लिमिटेड के स्टाफ के अलावा मुख्यतः अन्य हितधारकों

को मिलना चाहिए। एनएचपीसी कर्मचारियों को पहल के लाभों को विस्तारित किए जाने के मामले में भी यह कुल लाभग्राहियों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

- एनएचपीसी का कारपोरेट स्तर और एनएचपीसी की परियोजनाओं/फील्ड यूनिटों दोनों के स्तर पर सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं की पहचान तथा चयन, क्रियान्वयन में मार्गदर्शन, योजनाओं/क्रियाकलापों के प्रबोधन तथा समीक्षा हेतु एक उचित संगठन ढांचा होगा।
- एनएचपीसी निगम की सीएसआर तथा धारणीयता नीतियों के संबंध में अपने कर्मचारियों के सुग्राहीकरण और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक विकास के प्रति वांछित व्यावहारिक परिवर्तन लाने तथा नैतिकतापूर्ण व्यापार व्यवहारों को अपनाने की आवश्यकता लाने के लिए कदम उठाएगा।
- एनएचपीसी ऐसी योजनाओं/क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करेगा जो समाज को दृश्य सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय लाभ दे।
- एनएचपीसी धारणीय प्रौद्योगिकियों को अपनाने में संबद्ध आपूर्तिकर्ताओं तथा संविदाकारों को संभव सीमा तक अपने सीएसआर–धारणीयता प्रयासों के एक भाग के रूप में शामिल करने के लिए भी प्रयास करेगी।

4.0 आयोजना

4.1 परियोजना की आयोजना हेतु, बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं/योजनाओं की पहचान हेतु एनएचपीसी द्वारा उपलब्ध डाटा का उपयोग किया जाएगा। एनएचपीसी सीएसआर तथा धारणीय विकास क्रियाकलापों हेतु अधिमानतः मध्यम अवधि (3–5 वर्ष) परियोजनाओं को तैयार करेगी जिनकी समय–समय पर समीक्षा की जाएगी।

4.2 प्राथमिकता समाज के जरूरतमंद तबके के लाभ और पर्यावरणीय धारणीयता में योगदान देने वाली परियोजनाओं को दी जाएगी।

4.3 हमारे परियोजना क्षेत्र के निकट में रहने वाले हितधारकों और हमारे प्रचालनों तथा क्रियाकलापों को सीधे प्रभावित करने वालों को सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों के लाभग्राहियों के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी।

4.4 एनएचपीसी की परियोजनाएं अधिकतर हिमालय की श्रृंखला और सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित हैं। अतः एनएचपीसी अपनी परियोजनाओं, पावर स्टेशनों या क्षेत्रीय/संपर्क कार्यालय/निगम

मुख्यालय के निकट होने वाली सीएसआर व धारणीयता गतिविधियों पर जोर देगी । यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 80 प्रतिशत सीएसआर एवं धारणीयता योजनाओं/गतिविधियों को एनएचपीसी की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों, कार्यालयों में 25 किलोमीटर के भीतर और उसी जिले में निष्पादित किया जाए। तथापि भारत सरकार की राष्ट्रीय योजनाओं/अभियानों की आवश्यकताओं व उनके तहत प्राप्त निर्देशों के अनुसार जहां परियोजना अवस्थित है, 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर के क्षेत्रों का भी चयन किया जा सकता है जिसमें सीएसआर की बजट राशि का 20% से अधिक भाग समाज/पर्यावरण के बड़े लाभ के लिए किया जा सकता है।

4.5 क्रियान्वयन हेतु सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं का चयन अधिमानत एनएचपीसी यूनिटों के प्रचालन वाले जिले/उप–मंडल/ब्लाकों में प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श/मिल–जुल कर किया जाएगा। यह इन प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों/पहलों के दोहराव से बचने में सहायता करेगा ताकि समाज के लक्षित खंडों की वास्तविक आवश्यकताओं पर चुनिंदा योजनाओं द्वारा ध्यान दिया जा सके।

4.6 एनएचपीसी निम्नलिखित बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में सीएसआर तथा धारणीयता प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास करेगी :

1. सामुदायिक विकास को सुकर बनाना।
2. पर्यावरणीय संरक्षण तथा जैव–विविधता के संरक्षण का समर्थन करना।
3. विद्यमान शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन सहित शिक्षा, प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे का सृजन।
4. धारणीय आजीविका सृजन अवसरों का सृजन।
5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आधारभूत ढांचे में सुधार।
6. स्वच्छता सुविधाओं, पेय जल योजनाओं का सृजन तथा सुधार।
7. सिंचाई, जल संरक्षण, ऊर्जा आवश्यकताओं के प्रबंधन और अवशिष्ट प्रबंधन की नूतन पद्धतियों को अपनाना।
8. कृषि फार्मिंग तकनीकों के स्वदेशी तरीकों को बढ़ावा देना और चिकित्सीय पौधों पर स्वदेशी ज्ञान का संरक्षण।
9. भारतीय परम्परा के अनुसार खेल–कूद, धरोहर, कला, संगीत एवं संस्कृति का संरक्षण और उसे बढ़ावा देना।

4.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के अनुसार, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है, एनएचपीसी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों की मदें अनुलग्नक–1 पर दी गई है । यदि किसी अन्य गतिविधि/मदों पर व्यय किया जाता है जो अनुलग्नक–1 में दिए गए मदों की सूची के अनुसार नहीं है, तो उस व्यय की गणना सीएसआर व्यय में नहीं की जाएगी।

4.8 दीर्घावधि/मध्यम अवधि परियोजनाओं की योजना बनाते समय, उसकी पूर्णता तक प्रत्येक परियोजना की लागत को पूरा करने के लिए बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे। प्रत्येक दीर्घावधि/मध्यम अवधि परियोजना को प्रत्येक वर्ष क्रियान्वित किए जाने वाले वार्षिक लक्ष्यों तथा क्रियाकलापों में विभाजित किया जाएगा और परियोजना की पूर्णता तक इन क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए बजट आवंटित किया जाएगा तथा प्रत्येक आने वाले वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित की जाएगी।

4.9 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति क्रियाकलापों को चुनते समय, सामाजिक मूल्य सृजन, पर्यावरण संरक्षण या धारणीय विकास में योगदान न देने वाले तदर्थ एक बार के परोपकारी क्रियाकलापों को लेने से बचा जाएगा।

4.10 लाभार्थियों की अधिक संख्या को शामिल करने और व्यापक तथा दीर्घावधि काल तक दृश्य प्रभाव मुहैया करवाने वाली कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता परियोजनाओं को लेने हेतु संसाधनों को इक्टठा करने के लिए अन्य सीपीएसई के साथ सहयोग करने की संभाव्यताओं पर विचार किया जाएगा।

4.11 सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं को ऐसी योजनाओं/क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु विशेषीकृत बाहरी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है सिवाय उन मामलों के जहां योजित सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलाप एनएचपीसी की व्यापार प्रक्रियाओं तथा कोर दक्षताओं के साथ निकट से संरेखित हो।

4.12 सरकारी मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सीएसआर हब, अन्य सीपीएसयू तथा एनएचपीसी द्वारा पैनलबद्ध संगठनों द्वारा बनाए गए विशेषीकृत एजेंसियों/एनजीओ के पैनलों पर उक्त प्रयोजन हेतु विचार किया जाएगा।

4.13 सीएसआर तथा धारणीयता पहलों के अंतर्गत प्रशिक्षण और कौशल विकास के आयोजन हेतु विशेषज्ञता तथा व्यावसायिक दक्षता वाले प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त संस्थानों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। ऐसे संगठन के पास इस प्रकार के किए गए कार्यक्रमों/परियोजनाओं से संबंधित कम से कम 03 वर्ष का पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड होना चाहिए।

5.0 क्रियान्वयन हेतु प्रबंधन ढांचा

5.1 सीएसआर तथा धारणीयता हेतु प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार होगा :

क) बजट के आवंटन, प्रगति की समीक्षा और विभिन्न सीएसआर तथा धारणीयता पहलों के मार्गदर्शन हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा किसी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली सीएसआर एवं धारणीयता पर निदेशकों की समिति।

ख) नोडल अधिकारी, अधिमानतः कार्यपालक निदेशक के दर्जे वाला तथा उसकी टीम, जो सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों की पहचान तथा चयन का समन्वय करेगा और उक्त के क्रियान्वयन की प्रगति पर एक प्रभावी निगरानी भी रखेगा।

ग) सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों आदि की पहचान, क्रियान्वयन और प्रबोधन के लिए क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/परियोजना प्रमुख/यूनिट प्रमुख और उनकी टीम।

6.0 भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

6.1 सीएसआर और धारणीयता पर निदेशकों की समिति

क) परियोजनाओं के चयन, आयोजना, निष्पादन, प्रबोधन, मूल्यांकन और सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यनीतियों के लिए मोटे तौर पर दिशा–निर्देशों के निरूपण की निगरानी करना।

ख) सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों के लिए बजट का आवंटन।

ग) एनएचपीसी की नीतिगत ढाँचे/कारपोरेट कार्य मंत्रालय/डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों/अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अनुसार परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन।

घ) सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की आवधिक निगरानी।

ड) सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं की वार्षिक तौर पर धारणीयता रिपोर्टिंग।

च) सीएसआर व धारणीयता पर निदेशकों की समिति निदेशक मंडल को उनकी सूचना, विचार तथा आवश्यक निर्देशों हेतु एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

छ) सीएसआर समिति के अध्यक्ष द्वारा उत्तरदायित्व वक्तव्य पर हस्ताक्षर करना कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और उसकी मॉनिटरिंग सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुसार है ।

6.2 नोडल अधिकारी

क) सीएसआर एवं धारणीयता पर निदेशकों की समिति के विचारार्थ प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक लक्ष्यों के साथ वर्ष के दौरान ली जाने वाली कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता योजनाओं को अंतिम रूप देने तथा चयन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों के साथ समन्वय करना।

ख) नीति के अनुसार वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक परियोजना हेतु वार्षिक बजटीय आवश्यकता का संकलन और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु उस पर कार्यवाही करवाना।

ग) सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं को बढ़ावा देने/सहयोग से संबंधित सूचना के आदान–प्रदान हेतु अन्य विभागों/पीएसयू के साथ समन्वय करना।

घ) सीएसआर तथा धारणीयता पहल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आंतरिक हितधारकों के सुग्राहीकरण और शिक्षा हेतु एनएचपीसी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं और संगोष्ठियों का आयोजन।

ड) सीएसआर एवं धारणीयता पर निदेशकों की समिति को सीएसआर तथा धारणीयता पहलों की प्रगति के संबंध में त्रैमासिक, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

च) वार्षिक सीएसआर तथा धारणीयता रिपोर्ट तैयार करना जिसमें, जहां–कहीं व्यवहार्य हो, वार्षिक रूप से अथवा अन्य किसी उचित समय अंतराल पर लिए जाने वाले क्रियाकलापों और क्रियाकलापों के प्रभाव आकलन रिपोर्टों की प्रगति तथा उपलब्धि दर्शाई गई हो।

6.3 क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/परियोजना प्रमुख/यूनिट प्रमुख

क) जहां–कहीं अपेक्षित तथा आवश्यक हो, आधाररेखा/आवश्यकता आकलन अध्ययनों को करवाना।

ख) सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं की पहचान करना, और भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों के साथ परियोजना प्रस्ताव तैयार करना।

ग) योजना के अनुमोदन तथा बजट के आवंटन, क्रियान्वयन, प्रबोधन और फोटोग्राफ, विडीयो क्लीपिंग्स और/अथवा दस्तावेजीय प्रमाणों के साथ सीएसआर तथा धारणीय विकास योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट को भेजने के लिए नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करना।

घ) जहां–कहीं व्यवहार्य तथा अपेक्षित हो दीर्घावधि तथा अन्य योजना हेतु प्रभाव आकलन अध्ययन करवाना।

ड) हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

7.0 संसाधन आवंटन

7.1 सीएसआर तथा धारणीयता नीति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एनएचपीसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप धारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि, जोकि वर्तमान में 3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के औसत कुल लाभ का कम से कम 02 प्रतिशत है, को अलग से एनएचपीसी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर तथा धारणीयता कार्यों हेतु वार्षिक बजट के रूप में रखेगी।

7.2 परियोजना मोड में क्रियाकलापों के क्रियान्वयन पर सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों हेतु निर्दिष्ट वार्षिक बजट का कम से कम 80 प्रतिशत व्यय किया जाएगा।

7.3 सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों हेतु वार्षिक बजट का 5 प्रतिशत तक आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, जो प्राकृतिक आपदाओं/दुर्घटनाओं के कारण किए जाने वाले राहत कार्यों, और प्रधान मंत्री या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछडे वर्गों या अल्प संख्यकों, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास, राहत व कल्याण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई कोई अन्य निधि के प्रति दिए गए योगदान हेतु होगा ।

7.4 आधार रेखा सर्वेक्षण/आवश्यकता आकलन अध्ययन, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसे कि प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, संगोष्ठियों, सम्मेलन आदि और कंपनी के सीएसआर तथा धारणीयता एजेंडा को लागू करने के लिए सभी हितधारकों, चाहे आंतरिक हो अथवा बाहरी, के नियोजन हेतु कॉरपोरेट संचार कार्यनीतियों पर किए गए व्यय को इस प्रयोजन हेतु आवंटित बजट में से सीएसआर तथा धारणीयता व्यय के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

7.5 क) विभिन्न क्षेत्र/परियोजना/यूनिट के क्रियान्वयन हेतु संस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, सीएसआर तथा धारणीयता योजना/बजट के रूप में एक समेकित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और सीएसआर तथा धारणीयता कार्यों हेतु नोडल अधिकारी की सिफारिशों के साथ उसे अनुमोदन हेतु सीएसआर एवं धारणीयता पर निदेशकों की समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

ख) अनुमोदित वार्षिक योजना में शामिल न किए गए कार्यों/परियोजनाओं के संबंध में, उक्त पर नोडल अधिकारी के माध्यम से सीएसआर एवं धारणीयता पर निदेशकों की समिति के अनुमोदन हेतु कार्यवाही की जाएगी।

ग) उपरोक्तानुसार अनुमोदित सीएसआर तथा धारणीयता कार्यों का निष्पादन सीएसआर तथा धारणीयता कार्यों हेतु बनाए जाने वाले प्रत्यायोजनों के सेट के अनुसार किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जाएगा।

7.6 वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवंटित बजट के कम से कम 80 प्रतिशत का उपयोग करने के लिए प्रत्येक यूनिट को सभी प्रयास करने चाहिए। यद्यपि अप्रयुक्त निधियों को उपयोग हेतु अगले वर्ष ले जाने की अनुमति होगी। तथापि, किसी विशेष वर्ष हेतु आवंटित निधि का उपयोग नहीं किया गया है तो निधि का उपयोग न करने का कारण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।

7.7 सीएसआर तथा धारणीयता बजट के उपयोग में विलंब/कमी हेतु कारण, यदि कोई हो, को संबंधित यूनिटों द्वारा उचित औचित्यों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्हें सहमत समझौता–ज्ञापन लक्ष्यों के प्रति मूल्यांकन के समय भी प्रस्तुत किया जाएगा।

7.8 एनएचपीसी अपने कार्मिकों व क्रियान्वयन एजेंसियों के सीएसआर क्षमताओं का विकास उन संस्थानों के माध्यम से करेगी जिनके पास कम से कम तीन वित्तीय वर्षों की उपलब्धियां हों। किंतु, एक वित्त वर्ष में ऐसे खर्च जिसमें प्रशासनिक ओवर हेड खर्च शामिल हों, वह कंपनी के सीएसआर खर्च के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

8.0 क्रियान्वयन

8.1 बाहरी एजेंसियों का नियोजन अथवा उनके साथ भागीदारी करते समय, योजित सीएसआर तथा धारणीयता कार्यों हेतु आवश्यक क्षमताओं तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता के अतिरिक्त, ऐसी एजेंसियों की विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा का प्रमाणीकरण कार्य देने वाले प्राधिकारी द्वारा करवाया जाना चाहिए। ऐसे संगठन के पास इस प्रकार के किए गए कार्यक्रमों/परियोजनाओं से संबंधित कम से कम 03 वर्ष का पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड होना चाहिए।

8.2 विशेषीकृत एजेंसियों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :

क) सामुदायिक संगठन चाहे औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक।

ख) निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायती राज संस्थान।

ग) स्वैच्छिक एजेंसियां (एनजीओ)।

घ) गैर–लाभकारी संगठन।

ड) संस्थान/शैक्षणिक संगठन।

च) पंजीकृत ट्रस्ट, मिशन आदि।

छ) स्व सहायता समूह।

ज) सरकारी, अर्ध–सरकारी और स्वायत्तशासी संगठन।

झ) लोक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)।

ञ) महिला मंडल/समितियां और उनके जैसे अन्य संगठन।

ट) सिविल कार्यों हेतु संविदात्मक एजेंसियां।

ठ) व्यावसायिक परामर्शदाता संगठन आदि।

8.3 सरकारी मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग और राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सीएसआर हब द्वारा अनुरक्षित विशेषीकृत एजेंसियों/एनजीओ के पैनलों को सीएसआर तथा धारणीयता परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बाहरी विशेषीकृत एजेंसियों को अंतिम रूप देते समय विचार किया जाएगा। ऐसे संगठन के पास इस प्रकार के किए गए कार्यक्रमों/परियोजनाओं से संबंधित कम से कम 03 वर्ष का पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड होना चाहिए।

8.4 क्रियान्वयन में चरण :

क) विशिष्ट प्रदेयों के लिए क्रियान्वयनकारी भागीदारों के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ख) अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत वार्षिक योजना को भौतिक तथा वित्तीय दोनों लक्ष्यों के संबंध में प्रमुख कार्य–निष्पादन संकेतकों/उपलब्धियों के साथ तैयार किया जाएगा।

ग) परियोजना हेतु अपेक्षित बजटीय आवंटन को प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

9.0 प्रबोधन

9.1 सीएसआर तथा संधारणीयता योजनाओं की प्रगति के निकट प्रबोधन हेतु परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों पर अथवा क्षेत्रीय स्तरों पर 2–3 सदस्य शामिल करके एक विभागीय प्रबोधन समिति (डीएमसी) गठित की जाएगी।

9.2 विषय के विशेषज्ञता ज्ञान वाली योजनाओं/क्रियाकलापों के मामले में, समिति में एनएचपीसी के प्रतिनिधि सहित उपयुक्त बाहरी एजेंसियों से विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

9.3 भौतिक तथा वित्तीय मापदंडों को सम्मिलित करके सभी प्रमुख कार्य–निष्पादन संकेतकों के संबंधन में प्रगति का नियमित प्रबोधन किया जाएगा।

9.4 प्रत्येक स्थान में क्रियान्वयनाधीन होने वाली सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं की प्रगति को डीएमसी द्वारा कॉरपोरेट कार्यालय में सीएसआर तथा धारणीयता के नोडल कार्यालय को मासिक आधार पर सूचित किया जाएगा। कार्यों की प्रगति को दर्शाने के लिए फोटोग्राफ/वीडियो के साथ रिकार्ड रखा जाएगा।

9.5 सीएसआर तथा धारणीयता परियोजनाओं/क्रियाकलापों का प्रभावी प्रबोधन तथा क्रियान्वयन भी नोडल अधिकारी (सीएसआर/धारणीयता) द्वारा उसके साथ कार्य करने वाली टीम की सहायता से किया जाएगा। नामित नोडल अधिकारी सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की प्रगति के संबंध में सीएसआर तथा धारणीयता पर निदेशकों की समिति को त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

9.6 एनएचपीसी भी समय–समय पर जहां–कहीं संभव हो, लाभार्थियों से क्रियाकलापों के क्रियान्वयन और उसके परिणामों के संबंध में फीडबैक प्राप्त करेगी और यदि अपेक्षित हो, तो सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी।

10. कार्य–निष्पादन, प्रभाव आकलन और रिपोर्टिंग का मूल्यांकन

10.1 क्रियान्वयन हेतु ली गई सीएसआर तथा धारणीयता परियोजनाओं/क्रियाकलापों का मूल्यांकन समझौता–ज्ञापन ढांचे के अंतर्गत जहां कहीं अपेक्षित हो भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाएगा।

10.2 बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रभाव आकलन अध्ययन, दीर्घावधि योजनाओं/परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात और अन्य योजनाओं हेतु जहां कहीं संभव हो, किया जाएगा। प्रभाव का आकलन तथा तुलना आयोजना के समय निर्धारित किए गए योजित बेंचमार्कों से सीएसआर/धारणीयता पहल की सफलता या विफलता की डिग्री का पता लगाने के लिए किया जाएगा।

10.3 संगठन के स्वयं के मूल्यांकन और साथ ही साथ समझौता–ज्ञापन प्रतिबद्धताओं के प्रति कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु रूटीन प्रबोधन और फील्ड प्रगति रिपोर्टों के अतिरिक्त प्रगति/उपलब्धियों तथा प्रभावों के वीडियो–ग्राफिक/फोटोग्राफिक रिकार्डों को व्यवस्थित रूप से प्रलेखित किया जाता है।

10.4 एनएचपीसी की सीएसआर तथा धारणीयता नीति एवं ली गई पहलों के प्रकटीकरण को भारत सरकार के विद्यमान व्यवहारों तथा दिशा–निर्देशों के अनुरूप एनएचपीसी की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

10.5 सीएसआर तथा धारणीयता पहलों और उपलब्धियों के एक संक्षिप्त सार को एनएचपीसी की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।

11. समझौता–ज्ञापन मूल्यांकन

11.1 समझौता–ज्ञापन ढांचे के अंतर्गत सीएसआर तथा धारणीयता पहलों का मूल्यांकन वर्ष के लिए लागू समझौता ज्ञापन मूल्यांकन की दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

अनुलग्नक–I

सीएसआर गतिविधियों की सूची

i. भूख, निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, जिसके अंतर्गत निवारक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल भी है और स्वच्छता का संवर्धन, जिसके अंतर्गत स्वच्छता के संवर्धन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष में अंशदान भी है और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना।

ii. शिक्षा जिसमें विशेष शिक्षा और विशेषतः बालकों, स्त्रियों, वयोवृद्धों, अन्य रूप से समर्थ व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने संबंधी नियोजन और जीविका की बढ़ोत्तरी संबंधी परियोजनाएं का संवर्धन।

iii. लैंगिक समता, स्त्री सशक्तिकरण का संवर्धन, स्त्रियों और अनाथों के लिए गृहों और छात्रावासों का गठन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, दैनिक देख रेख केंद्रों का गठन और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता में कमी लाने के लिए उपाय करना।

iv. पर्यावरणीय संपोषण, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति जीव–जंतु का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा मृदा, वायु और जल की क्वालिटी बनाए रखना जिसके अंतर्गत गंगा नदी के संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित 'गंगा सफाई कोष में अंशदान भी है।

v. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें भवनों और ऐतिहासिक महत्ता के स्थल और कलाकृतियां भी सम्मिलित हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों का गठन करना, पारंपरिक कलाओं और हस्त शिल्पों का संवर्धन और विकास।

vi. सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों, योद्धाओं प्रभावी विधवाएं और उनके आश्रितों के फायदे के लिए उपाय।

vii. ग्रामीण खेल–कूद राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त खेल–कूद, पैरालम्पिक खेल–कूद और ओलम्पिक खेल–कूदों के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण देना।

viii. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, स्त्रियों के सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत के लिए और कल्याण के लिए गठित की गई किसी अन्य निधि में अभिदाय।

ix. शैक्षिणक संस्थान, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, के भीतर अवस्थित प्रोद्योगिक इनक्यूबेटरों के लिए प्रदान किये गये अभिदाय या निधियां।

x. ग्रामीण विकास की परियोजनाएं।

xi. स्लम क्षेत्र विकास

स्पष्टीकरण : 'स्लम क्षेत्र' से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय विधि के अधीन इस प्रकार घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।

अस्वीकरण

सीएसआर नीति अंग्रेजी में तैयार की गई है और स्वीकृत की गई है जिसे बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया है। हिंदी संस्करण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण की व्याख्या प्रबल होगी।

पार्बती - III पावर स्टेशन (डैम)

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी लिमिटेड, सेक्टर–33, फरीदाबाद
(हरियाणा) - 121003
CIN : L40101HR1975GOI032564
वेबसाइट : www.nhpcindia.com

Printed by : I.G. Printers Pvt. Ltd., New Delhi -110020